

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 290 / 2014 सत्रवाद
संस्थापित दिनांक 09-10-2014

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

1. बंटी उर्फ रमाकांत शर्मा पुत्र स्व. मुन्ना उर्फ
रामनिवास शर्मा उम्र 37 वर्ष।
2. सोनू पुत्र स्व. मुन्ना उर्फ रामनिवास शर्मा उम्र 24
वर्ष। निवासीगण ग्राम एण्डोरी, थाना एण्डोरी,
जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियुक्तगण

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद कुमारी शैलजा गुप्ता
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्रं0 839 / 2014 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्रं0 290 / 2014

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

//निर्णय//

//आज दिनांक 18-11-2016 को घोषित किया गया//

01. वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी बंटी उर्फ रमाकांत का विचारण धारा 302 विकल्प में धारा 302/34, 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0द0सं0 एवं धारा 25(1-ख)(ख) आयुध अधिनियम के अंतर्गत एवं आरोपी सोनू का विचारण धारा 302 विकल्प में धारा 302/34, 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0द0सं0 एवं धारा 25(1-ख)(क) एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। आरोपीगण पर आरोप है

कि दिनांक 27.06.2014 को 06:30 बजे शाम एण्डोरी में मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास के मकान के सामने से लेकर रामप्रकाश के मकान के सामने आम रोड पर मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की इस आशय से या जानबूझकर मृत्यु कारित कर हत्या कारित की, वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की हत्या करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या कारित की। उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी गुलाबसिंह व राजबीर को इस आशय या ज्ञान से आरोपी सोनू के द्वारा बंदूक से गोली चलाकर तथा बंटी उर्फ रमाकांत के द्वारा तलवार से बार कर इस आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी होते और इस दौरान फरियादी गुलाबसिंह को उपहति कारित की, वैकल्पिक रूप से उन पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ आहत राजबीर और गुलाब को जान से मारने का आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए बंदूक से सहआरोपी सोनू तथा सहआरोपी बंटी ने तलवार से बार इस आशय या ज्ञान से किया कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते। आरोपी बंटी उर्फ रमाकांत पर इसके अतिरिक्त यह भी आरोप है कि दिनांक 28.06.2016 को अपने आधिपत्य में एक लोहे की प्रतिबंधित तलवार को बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखी तथा आरोपी सोनू पर उक्त धाराओं के अतिरिक्त यह भी आरोप है कि अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का देशी कट्टा (अधिया) तथा दो जिंदा राउण्ड 315 बोर के बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाए गए तथा उक्त अधिया का घटना में प्रयोग किया।

02. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि फरियादी गुलाबसिंह ने थाना आकर सूचना दी कि वह दिनांक 27.06.2014 को शाम करीब 06:30 बजे वह चचेरे भाई पप्पू उर्फ रामप्रकाश के घर के सामने दीवाल पर मोहल्ले के लोगों के साथ बैठा था। लोग कह रहे थे कि सोनू और बंटी ने अपने पिता की हत्या कर दी है। तभी गांव में से सोनू 315 बोर की अधिया बंटी नंगी तलवार लिए माँ बहन की बुरी बुरी गालियाँ देते हुए आए और राजबीर को देखते ही सोनू ने जान से मारने की नियत से कट्टे से गोली मारी जो राजबीर के बगल से निकल गई। उसने आरोपीगण को रोकने और बचाने का प्रयास किया तो आरोपी बंटी ने तलवार मारी जो उसके सिर में लगी और ईंट फेंकते हुए दोनों भागे तो उसने बंटी को पकड़ लिया और तलवार छुड़ाते समय गाई (हाथ की गदेली) में चोट आई तथा सोनू को कुछ दूर जाकर उसके लडके रानू व भतीजे गोविंद ने पकड़ लिया। आरोपीगण के पिता मुन्ना उर्फ रामनिवास शर्मा ने 6 साल पहले उसके चाचा तोताराम को खेत बेचा था जिस कारण

आरोपीगण उसके चाचा के लडके व अपने पिता से रंजिश रखते थे। आरोपीगण का पिता गांव में नहीं रहता था, क्योंकि इससे पहले भी सोनू ने उसकी गोहद चौराहे पर मारपीट की थी। घटना दिनांक को आरोपीगण का पिता गांव में जमीन बैचने के उद्देश्य से आया था तब आरोपीगण ने घर पर उसे मार डाला तथा उनके घर भी वह उन्हें जान से मारने के उद्देश्य से आए थे, जिनको कि पकड़ लिया गया।

03. उक्त संबंध में फरियादी गुलाबसिंह की रिपोर्ट के आधार पर थाना एण्डोरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट अप0कं0 49/14 प्र.पी. 1 के अनुसार दर्ज की गई तथा अकाल मृत्यु के सूचना प्र.पी. 20 के अनुसार दर्ज की गई। मृतक के शव का सफीनाफार्म जारी कर नक्शापंचायतनामा तैयार किया गया और उसका शव परीक्षण कराया गया। आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया। घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी की जप्ती की गई, आरोपी रमाकांत उर्फ बंटी से एक लोहे की पुरानी जंग लगी हुई तलवार जिसकी लम्बाई दो फिट ग्यारह इंच की जप्ती की गई। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास जो कि आरोपीगण के पिता हैं, उनके पिता अपनी जमीन को बैचना चाहते थे और इसी बात पर आरोपीगण ने उनके साथ विवाद किया और आरोपीगण के द्वारा कट्टा एवं तलवार से उन बार किया गया और उनके सिर पर दोनों ने पत्थर पटककर उनकी हत्या कर दी। आरोपीगण जिनको कि गांव के लोगों के द्वारा घटना के बाद पकड़ लिया गया था को दिनांक 27.06.2014 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सोनू से पूछताछ कर उसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर उसके पेश करने पर एक कट्टा 315 बोर का और दो जिंदा कारतूस 315 बोर के जप्त किए गए। मृतक के कपड़ों की जप्ती की गई। जप्तशुदा वस्तुएं परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गई। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04. विचारित किए जा रहे आरोपी बंटी उर्फ रमाकांत के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 302 विकल्प में धारा 302/34, 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0द0सं0 एवं धारा 25(1-ख)(ख) आयुध अधिनियम का आरोप पाए जाने से एवं सह आरोपी सोनू के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 302 विकल्प में धारा 302/34, 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0द0सं0 एवं धारा 25(1-ख)(क) एवं धारा 27 आयुध अधिनियम का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया।

अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए यह अभिकथित किया है कि उनके पिता रामनिवास उर्फ मुन्ना के द्वारा दो बीघा जमीन रामनरेश की पत्नी मुन्नी बाई को बैची थी जिसके पूरे पैसे प्राप्त नहीं हुए थे, जिसकी माँ उनके पिता रामनरेश से करते थे और इस कारण रामनरेश उनसे रंजित मानते थे। दिनांक 27.04.14 को उनके पिता अपने कृषि भूमि का कुलावा बनाकर घर वापस आ रहे थे तभी शाम को 06:30 बजे ध्रुवसिंह, मुन्ना, गोपाल, परसुराम आदि कुल्हाड़ी, तलवार व लाठी लेकर आए और उसके पिता को मारपीट कर दी जिससे उसके पिता को चोटें आई तथा उनको भी उक्त लोगों ने पकड़ लिया और घसीटते हुए ले गए और उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट कर दी। बचाव में बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी रमाकांत ब0सा0 1 व उमाशंकर ब0सा0 2 के कथन कराए गए हैं।

06. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 27.06.2014 को 06:30 बजे शाम एण्डोरी में मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास के मकान के सामने से लेकर रामप्रकाश के मकान के सामने आम रोड पर मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु कारित हुई?
2. क्या मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का है?
3. क्या आरोपीगण के द्वारा साशय या जानबूझकर मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु कारित कर हत्या कारित की?
4. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की हत्या करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु कारित कर उसकी हत्या कारित की?
5. क्या आरोपीगण के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर फरियादी गुलाबसिंह व राजबीर को इस आशय या ज्ञान से आरोपी सोनू के द्वारा बंदूक से गोली चलाकर तथा बंटी उर्फ रमाकांत के द्वारा तलवार से बार कर इस आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी होते?
6. क्या फरियादी गुलाबसिंह को इस प्रकार चोट पहुँचाकर उपहति कारित की गई?
7. क्या उपरोक्त दिनांक स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ आहत राजबीर और गुलाब को जान से मारने का आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए बंदूक से सहआरोपी सोनू तथा सहआरोपी बंटी ने तलवार से बार इस आशय या ज्ञान से किया कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते?
8. क्या दिनांक 28.06.2016 को आरोपी बंटी उर्फ रमाकांत अपने आधिपत्य में एक लोहे की प्रतिबंधित तलवार को बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे हुए था?

9. क्या आरोपी सोनू अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का देशी कट्टा (अधिया) तथा दो जिंदा राउण्ड 315 बोर के बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे पाए गए?
10. क्या आरोपी सोनू के द्वारा उक्त अग्नेयशस्त्र का उपयोग घटना कारित करने में किया गया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 7 :-

07. अभियोजन साक्षी डॉक्टर जी0आर0शाक्य अ0सा0 7 के द्वारा दिनांक 27.06.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक धर्मेन्द्र थाना एण्डोरी द्वारा लाए जाने पर आहत गुलाबसिंह पुत्र दरयाबसिंह निवासी एण्डोरी का मेडीकल परीक्षण किया गया था। आहत को सिर के दांयी तरफ एक कटा हुआ घाँव था जिसका आकार 6 गुणा 4 से.मी. चमड़ी की गहराई तक था। साक्षी ने अपने अभिमत में बताया है कि आहत को आई हुई चोट किसी धारदार हथियार से पहुँचाई गई थी जो परीक्षण से 6 घण्टे के अंदर की थी जो कि साधारण प्रकृति की थी जिसकी मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08. उक्त साक्षी के अनुसार उसी दिनांक को थाना एण्डोरी के आरक्षक प्रदीप नम्बर 602 के द्वारा लाए जाने पर मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास निवासी एण्डोरी का शव परीक्षण किया था जो निम्न प्रकार से है— मृतक का मृत शरीर चित अवस्था में लेटा था, जिसके हाथ व पैर सीधे थे, मृतक हल्के कलर का पजामा, आसमानी कलर की शर्ट, सफेद तोलिया पहने हुए था। मृतक के शरीर में अकडन शुरू नहीं हुई थी। मृतक के शरीर पर परीक्षण के दौरान निम्न चोटें पाई थी— (i) सिर के मध्य में एक फटा हुआ घाँव था जिसका आकार 4 x 2 से. मी. चमड़ी तक गहरा था। (ii) दाँए गाल पर एक कटा हुआ घाँव था जो गाल के आरपार था एवं उसी तरह की नाक भी कटी थी जिसका आकार 6x 2 से.मी. गहरा था। (iii) दाँहिने सिर पर एक फटा हुआ घाँव था जिसका आकार 4 x 2 से.मी. चमड़ी तक गहरा था साथ में उस जगह की हड्डी भी फ्रैक्चर थी। (iv) गुप्तांग के नीचे दाँई तरफ एक कटा हुआ घाँव था जिसका आकार 4 x 3 से.मी. चमड़ी तक गहरा था। (v) बाँए कंधे पर छिलन की चोट थी जिसका आकार 6 x 3 से.मी. तक था। **आंतरिक परीक्षण** करने पर — सिर में अंदर खून भरा हुआ था, बाँए दिमाग फटा हुआ था एवं बाँकी अंग कंजस्टेड थे, फेंफड़े कंजस्टेड थे एवं यकृत, प्लीहा, गुर्दा हल्का पीला था। पेट में कुछ अधपचा खाना था एवं बड़ी आंत में मल पाया गया था। **अभिमत—** साक्षी के द्वारा अभिमत में बताया है कि मृतक की मृत्यु कोमा में जाने से हुई है जिसका कारण सिर में चोट लगने से अधिक खून बहना पाया गया जो कि

मृत्यु 12 घण्टे के अंदर की रही होगी। साक्षी ने बताया है कि पी.एम. रिपोर्ट के साथ भेजे गए मृतक के कपड़े शील कर संबंधित थाने को भेज दिए गए थे। उनके द्वारा तैयार पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी. 10 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. उक्त चिकित्सीय साक्षी के प्रतिपरीक्षण में यह आया है कि मृतक गोहद अस्पताल में रात को दो बजे आया था। मृतक का शव परीक्षण उनके द्वारा सुबह 08:30 बजे प्रारंभ किया गया था और 27 तारीख को ही मृतक को उनके पास लाया गया था। उसी दिन उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी। साक्षी की रिपोर्ट में पी.एम करने के समय व दिनांक के संबंध में समय में बिसंगति आई है, किन्तु मात्र इस आधार पर उनकी सम्पूर्ण रिपोर्ट अस्वीकार नहीं की जा सकती है।

10. इस प्रकार चिकित्सक डॉक्टर जी.आर. शाक्य के कथन से स्पष्ट है कि मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु हुई थी जो कि कोमा में जाने से जो कि सिर में आई चोट से खून अधिक वहने से हुई थी। इसके अतिरिक्त आहत गुलाबसिंह को भी धारदार वस्तु की चोट सिर में मौजूद थी।

11. घटना दिनांक 27.06.2014 को मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु हो जाना अभियोजन साक्षी श्यामलता शर्मा अ0सा0 5, नारायण अ0सा0 6, किशनलाल अ0सा0 11, गोविंद अ0सा0 13, अभिषेक अ0सा0 14 के कथनों में आया है। इस संबंध में थाना एण्डोरी के तत्कालीन थाना प्रभारी रतिराम अ0सा0 9 के द्वारा मृतक की मृत्यु के पश्चात् शफीनाफार्म प्र. पी. 13 तैयार करना, लाश पंचायतनामा प्र.पी. 14 लेखबद्ध करना बताया है। इस प्रकार मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु हो जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित होना पाया जाता है।

12. मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में मृतक की मृत्यु होने के पश्चात् पुलिस के द्वारा मौके पर पहुँचकर सफीनाफार्म जारी किया गया है और लाश का पंचायतनामा बनाया गया जो कि सफीनाफार्म प्र.पी. 13 तथा लाश पंचायतनामा प्र.पी. 14 है। लाश पंचायतनामा प्र.पी. 14 जो कि उपनिरीक्षक रतीराम अ0सा0 9 के द्वारा तैयार किया गया है तथा जिसका समर्थन साक्षी किशनलाल अ0सा0 11 के द्वारा भी किया गया है में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि मृतक के सिर में कटकर घाँव हुआ था और मुँह में नाक के ऊपर भी कटा हुआ घाँव था और खून निकला था और दाहिने कान के पास भी घाँव था, जिसमें खून बह रहा था और हाथ भी टूटे हुए थे। मृतक की मृत्यु का कारण सिर में व शरीर में आई हुई चोटों से जो कि मृत्यु के पूर्व पहुँचाई गई होने का उल्लेख आया है। मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास को पत्थरों से कुचलकर मार

डालने के संबंध में पता चलना साक्षी नारायण अ0सा0 6 के कथनों में भी आया है। डॉक्टर जी.आर.शाक्य अ0सा0 7 जिन्होंने कि मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास का शव परीक्षण किया है, उनके द्वारा मृतक के सिर में फटा हुआ घाँव जिसमें कि फ्रेक्चर था तथा गाल में और गुप्तांगों के नीचे कटे हुए घाँव पाए थे और सिर में अंदर खून भरा होना जो कि उसके वांया दिमाग फटा हुआ था। अभिमत में उनके द्वारा मृतक की मृत्यु सिर में लगी चोटों से अधिक खून बहने के कारण कोमा में जाने से होना बताया है। मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई हो अथवा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु हुई हो ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है और मृतक की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई हो अथवा मृत्यु आत्महत्या के प्रकार की हो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार मृतक की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का होना स्पष्ट होता है।

13. अभियोजन प्रकरण के संबंध में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आरोपीगण जिन्होंने कि अपने पिता मुन्ना उर्फ रामनरेश की हत्या की है और उसकी हत्या करने के बाद वह दोनों गांव में गए और गांव में जाकर उन्होंने फरियादी गुलाबसिंह को जान से मारने की नियत से तलवार मारी तथा राजबीरसिंह एवं मुन्ना उर्फ रामनरेश को भी उनके द्वारा जान से मारने की नियत से गोली चलाई गई और इस प्रकार उक्त लोगों की हत्या करने का प्रयत्न किया गया। अब विचारणीय यह हो जाता है कि – क्या मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की हत्या आरोपीगण के द्वारा ही की गई? क्या आरोपीगण के आहत गुलाबसिंह, राजबीर सिंह व रामनरेश की हत्या का प्रयत्न किया गया?

14. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी गुलाबसिंह के द्वारा दर्ज कराई गई है। गुलाबसिंह जो कि अ0सा0 2 के रूप में परीक्षित हुआ है के द्वारा अभियोजन प्रकरण जिस प्रकार से बताया गया है उसका कोई समर्थन नहीं किया गया है और उसके द्वारा यह बताया गया है कि हल्ला सुनने पर वह गांव की तरफ भागा तो रास्ते में उसका द्वाली से सिर टकरा गया था और वह गिर पड़ा था। इस प्रकार उक्त साक्षी जो कि घटना का फरियादी एवं महत्वपूर्ण साक्षी है वह पक्षद्रोही रहा है। साक्षी यद्यपि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 और नक्शामोका प्र.पी. 2 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

15. घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता गुलाबसिंह जो कि पक्षद्रोही रहा है उसे अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु सूचक प्रकार के प्रश्नों के दौरान भी साक्षी के द्वारा आरोपीगण के घटना में संलग्न होने अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित किये जाने के संबंध में दिए गए सुझाव से साफतौर से इन्कार किया गया है और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि प्र.पी. 1 की रिपोर्ट उसे पुलिस ने

पढकर सुनाई थी उसके बाद ही उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताया है कि उसे गिरने के कारण चोटें आई थीं इस कारण वह हडबडाया हुआ था और रिपोर्ट लीलाधर के द्वारा लिखाई गई थी।

16. घटना की रिपोर्ट का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में रिपोर्ट लेखक तत्कालीन थाना प्रभारी एण्डोरी रतीराम अ0सा0 9 के द्वारा फरियादी गुलाबसिंह के द्वारा घटना की रिपोर्ट प्र.पी. 1 थाने पर लिखाना बताया है, किन्तु रिपोर्टकर्ता के द्वारा उसके द्वारा कोई रिपोर्ट न लिखते हुए उसके साथ गए अन्य व्यक्ति लीलाधर के द्वारा रिपोर्ट लिखाना बताया है। यदि यह मान लिया जाए कि घटना की रिपोर्ट फरियादी गुलाबसिंह के द्वारा लिखाई गई है, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई सारवान साक्ष्य नहीं होती है। ऐसी दशा में मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपीगण के नाम का उल्लेख होने अथवा उनके द्वारा कथित रूप से घटना कारित किए जाने के आधार पर उनके विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

17. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त घटना का अन्य चक्षुदर्शी साक्षी राघवेन्द्र उर्फ राजू अ0सा0 3 भी पक्षद्रोही रहा है। उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।

18. अब अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी राजबीरसिंह अ0सा0 1 तथा मुन्ना उर्फ रामनरेश अ0सा0 4 जो कि घटना में पीडित होना भी बताया गये हैं और जिन पर आरोपीगण के द्वारा जान से मारने की नियत से अग्नेयशस्त्र से गोली चलाकर उनकी हत्या का प्रयत्न करना बताया गया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण के साक्ष्य कथन के संबंध में विचार किया जाना उचित होगा।

19. अभियोजन साक्षी राजबीरसिंह अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में यह बताया गया है कि शाम के 06:30 बजे की बात है वह अपने घर पर खाट पर लेटा हुआ था। इसी दौरान सोनू और सोनू का भाई रमाकांत उसके घर की तरफ आए। उसके घर की औरतें छत पर खड़ी होकर देख रही थीं तब उसने पूछा कि भीड़ कैसी लगी है। वह गांव में स्थित चौराहे पर गया तो वहाँ आरोपी सोनू और रमाकांत मिले थे। जब वह उनके सामने पहुँचा तो उन्होंने उसे गाली दी और वह वहीं खड़ा। आरोपी सोनू ने कहा कि एक तो सामने आ गया है इस ले लो और रमाकांत ने उसके ऊपर कट्टा सीधा कर लिया। कट्टे में खट की आवाज आई तो वह घर के अंदर आ गया और किबाड बंद कर लिये थे और किबाड की

सास से वह देखता रता तो उसने देखा कि रमाकांत और सोनू उसके घर के सामने आए, वहाँ पर गाली चली, किन्तु गोली नहीं चली। उसके बाद उक्त दोनों लोग उसके घर की बगल में उसके भाई मुन्ना उर्फ रामनरेश के घर की तरफ गए, वहाँ पर उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। रामनरेश बचने के लिए छत पर चढ़ गया और रामनरेश ने पत्थर आरोपीगण पर मारे। उसका चचेरा भाई गुलाब भी आ गया था, उन्होंने बीच बचाव किया तो सोनू ने गुलाब को तलवार मारी जो गुलाब के सिर में लगकर खून निकल आया था, वहाँ पर गांव के कई लोग आ गए थे, उन्होंने आरोपीगण को पकड़ लिया था। गुलाबसिंह और मुन्ना रिपोर्ट करने चले गए थे, फिर पुलिस आई थी।

20. अभियोजन साक्षी मुन्ना उर्फ रामनरेश अ0सा0 4 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह घटना के समय अपनी गाय का दूध निकाल रहा था। आरोपी बंटी आया और कहने लगा कि अपने पिता को निपटा आए है और तुम्हें भी निपटा देगे। इतने में वह भागा और अपने छोटे भाई के घर में घुसा तो सोनू ने कट्टा मारा तो वह नीचे झुक गया था इस बजह से बच गया और फिर जीने से छत पर चढ़कर ईंट के टुकड़े मारे तो वह पीछे हट गए। उसके बाद गुलाबसिंह जो उसका चचेरा भाई है वह भी उनके दरवाजे पर आए और आरोपीगण से कहने लगे तो आरोपी बंटी ने गुलाब के सिर में तलवार मारी, गुलाब ने तलवार पकड़ ली तब वह पहुँच गया और गांव के अन्य लोग भी इकट्ठे हो गए थे।

21. साक्षी राजबीरसिंह अ0सा0 1 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, साक्षी के द्वारा अपने कथन में घटना के समय आरोपी रमाकांत के पास कट्टा होना और रमाकांत ने उसके ऊपर कट्टा उसकी ओर सीधा करके चलाना बताया है। आरोपी सोनू ने गुलाब को तलवार मारना जो कि गुलाब के सिर में लगना बता रहा है। साक्षी कथन कंडिका 8 में बता रहा है कि आरोपी सोनू के पास तलवार थी और रमाकांत के पास कट्टा था और उसके ऊपर आरोपी ने दो फायर किये थे जो मिस हो गए थे। प्रतिपरीक्षण कंडिका 9 में साक्षी पुलिस को कथन देते समय आरोपी रमाकांत तलवार लिए हुए तथा सोनू अधिया (कट्टा) लिए होने की बात नहीं बताना अभिकथित किया है और पुलिस कथन में यह भी नहीं बताया गया था कि सोनू ने कट्टा सीधा कर उसे जान से मारने के लिए गोली चलाई थी। पुलिस को वयान देते समय सोनू ने किबाड से गोली चलाने वाली बात जो कि मिस हो गई थी नहीं बताई थी और इसी प्रकार वयान देते समय बंटी उर्फ रमाकांत ने जान से मारने की नियत से गुलाब के सिर में तलवार मारी जो कि उसने पकड़ने की बात भी पुलिस को नहीं बताई थी।

22. इस प्रकार से साक्षी के द्वारा पुलिस को दिए गए धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन तथा उसके द्वारा न्यायालय में दिए गए कथनों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास आया है

जो कि उक्त विरोधाभास को विवेचनाधिकारी से भी स्पष्ट कराया गया है। पुलिस कथन में वह आरोपी सोनू के पास कट्टा और बंटी के उर्फ रमाकांत के पास तलवार होना ए से ए भाग में बताया है और सोनू के द्वारा उस पर कट्टा जान से मारने की नियत से मारना बी से बी भाग में बताया है और सोनू के द्वारा किबाड़ों से गोली चलाना जो कि मिस हो जाना सी से सी भाग में बताया है। आरोपी बंटी उर्फ रमाकांत ने तलवार जान से मारने की नियत से गुलाबसिंह के सिर में मारना और गुलाब ने बंटी की तलवार पकड़ लेना बताया है, जबकि न्यायालय में हुए कथन में उसके विपरीत वह कथन कर रहा है। इस प्रकार महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर साक्षी के कथनों में तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास एवं बिसंगति आना स्पष्ट होती है। साक्षी के द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि अन्य साक्षी मुन्ना उर्फ रामनरेश उसका सगा भाई है। ऐसी दशा में साक्षी के कथनों में आए हुए विरोधाभास एवं बिसंगतियों के परिप्रेक्ष्य में जो कि तात्त्विक प्रकार की है, उक्त साक्षी के साक्ष्य कथन विश्वसनीय होना नहीं पाए जाता है।

23. अभियोजन साक्षी मुन्ना उर्फ रामनरेश अ0सा0 4 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में साक्षी यह बता रहा है कि वह अपने भाई राजबीरसिंह की आवाज सुनने पर आया है। राजबीरसिंह उस समय उसके दरवाजे से सवा सौ फिट के फासले पर थे। साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया गया है कि मृतक रामनिवास उर्फ मुन्ना से उसकी पुस्तैनी जमीन दो बीघा उसके द्वारा अपनी पत्नी के नाम खरीदी गई थी जिसका वयनामा भिण्ड में उसके द्वारा कराया गया था। भिण्ड में किस कारण से वयानामा कराया गया था इस संबंध में वह कोई भी स्पष्ट बात नहीं बता पाया है। इसके अतिरिक्त साक्षी के द्वारा अपने कथन में यह बताया जा रहा है कि घटना के समय अपने भाई रामप्रकाश के घर में घुस गया था। जो गोली उसके तरफ मारी गई थी वह कहाँ निकल गई वह नहीं बता सकता है। साक्षी के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में बढा चढाकर कथन करते हुए यह बताया है कि आरोपीगण यह कह रहे थे कि वह अपने पिता को निपटा आए हैं, तुम्हें भी निपटा देंगे, जब कि इस आशय का कोई भी कथन पुलिस को दिए गए प्र.डी. 2 के वयान में नहीं आया है। इसी प्रकार पुलिस कथन देते समय वह भागा और उसके भाई के घर में घुसा तो सोने ने कट्टा मारा तो वह झुक गया इसलिए वह बच गया यह बात भी कथन प्र.पी. 2 में लिखना बताया है, जबकि पुलिस कथन में उक्त बात का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा हितबद्ध होकर बढा चढाकर के कथन किया जा रहा है यह स्पष्ट होता है। ऐसी दशा में मात्र साक्षी रामनरेश के कथन पर विश्वास किया जाना सुरक्षित नहीं है। यह आवश्यक है कि उसके कथन की सम्पुष्टि किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर हो।

24. उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना के फरियादी गुलाबसिंह

के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है तथा घटना के संबंध में अन्य चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी राजबीरसिंह के कथन के आधार भी आरोपी सोनू के पास अधिया (कट्टा)होने की पुष्टि नहीं हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी उसे निशाना कर कट्टा से फायर किया जाना अभिकथित कर रहा है और उस समय भागकर अपने छोटे भाई के घर में घुसना जो कि सोनू ने कट्टा मारा जो उसके नीचे झुक जाने की बजह से वह बच जाना अभिकथित कर रहा है, किन्तु उक्त तथ्य भी उसके कथन प्र.डी. 2 में कहीं भी नहीं आया है और प्रथम बार वह न्यायालय में उक्त कथन कर रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि कोई कारतूस की जप्ती उक्त स्थान से नहीं की गई है। निश्चित तौर से यदि निशाना कर कोई गोली चलाई गई जो कि घर के अंदर गई थी तो उसके निशान आदि बने होंगे, किन्तु इस संबंध में वर्तमान साक्षी एवं विवेचनाधिकारी के कथनों में कहीं भी इस प्रकार के निशान देखे जाने अथवा कोई भी गोली व कारतूस का खोखा आदि भी उक्त स्थान से जप्त किया जाना भी प्रमाणित नहीं है। ऐसी दशा में साक्षी रामनरेश के कथन पर विश्वास करते हुए इस संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता नहीं मानी जा सकती।

25. घटना जिसमें कि मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु कारित करना बताया गया है। इस संबंध में उक्त घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में विभूतीराम शर्मा एवं श्यामलता शर्मा को घटनास्थल पर मौजूद होना बताया गया है, जो कि उक्त घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन के द्वारा साक्षी विभूतीराम शर्मा जो कि न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए थे उन्हें बिना परीक्षण के छोड़ा गया है। इस बिन्दु पर अभियोजन के द्वारा घटना की चक्षुदर्शी साक्षी श्यामलता शर्मा अ0सा0 5 के रूप में परीक्षण कराया गया है, किन्तु उक्त साक्षिया के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में इस संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।

26. अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराए गए घटना से संबंधित शेष साक्षीगण जिमसे कि घटना का फरियादी गुलाबसिंह अ0सा0 2, राजबीरसिंह अ0सा0 1, राघवेन्द्र अ0सा0 3, मुन्ना उर्फ रामनरेश अ0सा0 अ0सा0 4 बिन्दु के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। इस संबंध में घटना के फरियादी गुलाबसिंह अ0सा0 2 इस आशय की कोई भी बात प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में लिखाने से इन्कार किया है। साक्षी राघवेन्द्र उर्फ राजू अ0सा0 3 अपने कथन में मात्र यह बताया है उसने यह सुना था कि रामनिवास की मृत्यु हो गई है, किन्तु उसकी मृत्यु कैसे हुई इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अन्य अभियोजन साक्षी मुन्ना उर्फ रामनरेश के द्वारा

भी प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की मारपीट करते हुए उसने नहीं देखा था और उनके घर से आरोपीगण का मकान दिखाई नहीं देता है।

27. इस प्रकार घटना जिसमें कि मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु होनी बताई जा रही है। इस संबंध में अभियोजन प्रकरण का समर्थन किसी भी चक्षुदर्शी या मौखिक साक्ष्य के आधार पर होनी नहीं पायी जाती है। ऐसी दशा में जबकि अभियोजन प्रकरण कि मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षीगण या अन्य मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं होता है जिससे कि आरोपीगण के ही उक्त घटना में संलग्न होने व उनके द्वारा घटना कारित करने की पुष्टि होती हो।

28. अभियोजन की ओर से अपने तर्क में यह व्यक्त किया गया है कि आरोपीगण के मुन्ना उर्फ रामनिवास की हत्या कारित करने के संबंध में उनके द्वारा की गई न्यायकोत्तर संस्वीकृति तथा प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण की इस संबंध में प्रामाणिकता सिद्ध होती है कि आरोपीगण ही मृतक की हत्या की घटना में शामिल थे। इस संबंध में अभियोजन के द्वारा बताई गई न्यायकोत्तर संस्वीकृति तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में भी विचार किया जाना उचित होगा।

न्यायकोत्तर संस्वीकृति—

29. जहाँ तक आरोपीगण के द्वारा की गई न्यायकोत्तर संस्वीकृति का प्रश्न है, अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी मुन्ना उर्फ रामनरेश अ0सा0 4 यद्यपि अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण के द्वारा न्यायकोत्तर संस्वीकृति किये जाने के संबंध में बताया है जो कि उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी बंटी ने उससे कहा था कि “हम अपने पिता को निपटा आए हैं तुम्हें भी निपटा देंगे।” इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी मुन्ना उर्फ रामनरेश के द्वारा पुलिस को दिए गए धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन प्र.डी. 2 में कहीं भी उक्त बात नहीं बताई गई है और वह न्यायालय में हो रहे कथन में ही पहली बार उक्त बात बता रहा है और इस तथ्य को प्रतिपरीक्षण में भी उसके द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसी दशा में साक्षी मुन्ना उर्फ रामनरेश के द्वारा उपरोक्त संबंध में किए गए कथन न्यायकोत्तर संस्वीकृति के रूप में मानते हुए उसके आधार पर इस संबंध में अपराध की प्रामाणिकता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। न्यायकोत्तर संस्वीकृति के संबंध में किसी भी अन्य साक्षी के द्वारा अपने पुलिस कथन एवं न्यायालय में हुए कथन में कोई बात नहीं बताई गई है। ऐसी दशा में न्यायकोत्तर संस्वीकृति के आधार पर आरोपीगण के मुन्ना उर्फ रामनिवास की हत्या के अपराध में संलग्न होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य—

30. परिस्थितिजन्य साक्ष्य का जहां तक प्रश्न है, इस संबंध में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य निश्चयात्मक होनी चाहिये और परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला होनी चाहिये जिससे कि निश्चित रूप से यह प्रमाणित हो कि आरोपी के द्वारा ही अपराध किया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि इस संबंध में शरद उर्फ दीपचन्द्र विरूद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 एस.सी.सी. 487 तथा स्टेट ऑफ गोवा विरूद्ध संजय ठकराल (2007)3 एस.सी.सी. 755 में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में निम्न परिस्थिति पूर्ण होनी चाहिये—

1. वह परिस्थिति जिसके आधार पर दोषसिद्ध का निष्कर्ष निकाला जा रहा है वह पूर्णतः प्रमाणित हो।
2. इस प्रकार से प्रमाणित तथ्य के आधार पर मात्र इस बात की परिकल्पना होनी चाहिए कि आरोपी के द्वारा ही अपराध किया गया है, अन्य कोई भी परिकल्पना जो कि आरोपी के अपराध करने के अतिरिक्त हो विद्यमान नहीं होनी चाहिए।
3. परिस्थितियां जो कि बताई जा रही हैं वे निश्चयात्मक होनी चाहिए।
4. परिस्थितियां इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह प्रमाणित तथ्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिकल्पना को नकारती हो।
5. परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो कि इस बात को दर्शाती हो जो कि आरोपी के निर्दोष होने के तथ्य को किसी प्रकार से नहीं छोड़ती हो तथा इस बात को स्पष्ट दर्शाती हो कि इस बात की सभी संभावनाएं हो कि अपराध आरोपी के द्वारा ही किया गया हो।

31. वर्तमान प्रकरण का जहां तक प्रश्न है वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के द्वारा आरोपीगण के घटना में संलग्न होना और उनके विरूद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होने के संबंध में जो परिस्थितियां बतायी गयी हैं वह निम्न प्रकार से हैं :—

- (i) घटना के पूर्व मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास एवं आरोपीगण का उनके घर के पास अंतिम बार साथ देखा जाना।
- (ii) मृतक की हत्या करने का हेतुक मौजूद होना।
- (iii) घटना के पश्चात् आरोपीगण का व्यवहार।

(iv) प्रकरण में मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही।

प्रथम परिस्थिति:—घटना के पूर्व घटनास्थल पर आरोपीगण एवं मृतक को एक साथ देखा जाना

32. अभियोजन के द्वारा बताई गई प्रथम परिस्थिति कि घटना जिसमें कि मुन्ना उर्फ रामनिवास की मृत्यु कारित हुई है, इस दौरान आरोपी सोनू व बंटी जो कि उसके पुत्रगण है को मृतक के साथ देखा गया हो अथवा मृतक से उनका उस दिन किसी प्रकार की बातचीत अथवा विवाद हुआ हो इस आशय का कोई भी साक्ष्य नहीं है। किसी भी अभियोजन साक्षी के द्वारा घटनास्थल या उसके आसपास आरोपीगण एवं मृतक को एक साथ देखे जाने एवं उस दौरान पिता के साथ उनका विवाद या झगडा होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं आई है।

33. जहाँ तक मृतक को मृत अवस्था में उसके घर के पास पाए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में विवेचना अधिकारी रतीराम अ0सा0 9 जिन्होंने कि घटनास्थल का नक्शामौका प्र. पी. 2 का बनाया है। उक्त नक्शामौका का जहाँ तक प्रश्न है जो कि फरियादी गुलाबसिंह की निशानदेही पर उनके समक्ष बनाया गया होना बताया है, किन्तु साक्षी गुलाबसिंह के द्वारा उसकी उपस्थिति में प्र.पी. 2 का नक्शामौका बनाये जाने से इन्कार किया है। इस संबंध में कि घटनास्थल मृतक के दरवाजे के पास हो अन्य किसी भी अभियोजन साक्षी के द्वारा उसका समर्थन भी नहीं होता है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि विवेचना अधिकारी के द्वारा प्र.पी. 2 के नक्शामौका में मृतक जिस स्थान पर मृत अवस्था में पाया गया है वह स्थान उसके घर के पास जहाँ से कि आम रास्ता होना भी स्पष्ट होता है। ऐसी दशा में जबकि घटना दिनांक को आरोपीगण का उनके पिता के साथ कोई विवाद या झगडा होना अथवा उनकी पिता के साथ मौजूदगी का तथ्य प्रमाणित नहीं है, मात्र घर के दरवाजे के पास मृतक को मृत अवस्था में पाये जाने के आधार पर आरोपीगण के ही द्वारा उसकी हत्या की गई हो इस संबंध में परिस्थिति मानते हुए कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

द्वितीय परिस्थिति:— घटना का हेतुक—

34. मृतक के द्वारा जमीन बैचने को लेकर आरोपीगण एवं मृतक के मध्य विवाद एवं मन मुटाव— अभियोजन के द्वारा यह बताया गया है कि मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास के द्वारा अपनी 02 बीघा जमीन को घटना से 5-6 साल पहले गांव के मुन्ना उर्फ रामनरेश को बैच दी थी, जिसका कि उसके दोनों लडकों के द्वारा विरोध किया था और रोजाना इसी को लेकर आपस में झगडा होता रहता था, इस कारण मृतक गांव में न रहकर अपनी लडकी के पास गोहद चौराहा में रहता था। मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास शेष बची हुई जमीन को भी बैचने के

प्रयास में था और जमीन बैचने के उद्देश्य से ही घटना दिनांक 27.06.2014 को गांव में आया था और इसी दौरान आरोपीगण के द्वारा मृतक की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार मृतक की हत्या करने का हेतुक मौजूद है।

35. इस संबंध में अभियोजन साक्षी मुन्ना उर्फ रामनरेश अ0सा0 4 के द्वारा यह बताया गया है कि उसने सन् 2006 में मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास से 02 बीघा खेत खरीदा था और उस खेत में मुन्ना के लडके बंटी व सोनू ने दीवानी दावा चालू कर दिया था। आरोपीगण के पिता के द्वारा खेत बेचा था उस समय भी उन्होंने अपने पिता से झगडा किया था जिसका केस चल रहा है। आरोपीगण के पिता मुन्ना उर्फ रामनिवास अपनी लडकी के यहाँ गोहद चौराहा में रहते थे। जहाँ तक साक्षी मुन्ना उर्फ रामनरेश अ0सा0 4 के इस संबंध में किए गए कथन का प्रश्न है, उक्त साक्षी के द्वारा इस बिन्दु पर किये गए कथन की पुष्टि किसी भी अन्य अभियोजन साक्ष्य के आधार पर नहीं होती है। साक्षी मुन्ना उर्फ रामनरेश के द्वारा मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास से जमीन खरीदने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में प्रतिपरीक्षण कंडिका 9 में उक्त साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि मृतक रामनिवास उर्फ मुन्ना द्वारा अपने पुस्तैनी भूमि करीब 02 बीघा चुन्नी बाई पत्नी रामनरेश तोमर को बैची थी जो कि 1,80,000/- रूपए में उक्त जमीन खरीदी गई थी। इस संबंध में वयानामा भिण्ड रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया गया था और भिण्ड में ही पैसा दिये गए थे। रामनिवास के साथ उसके परिवार के एवं उसके कोई अन्य रिस्तेदार व्यक्ति नहीं थे, अकेला वही था और एण्डोरी की जमीन का वयानामा/रजिस्ट्री गोहद रजिस्ट्रार के यहाँ भी हो सकती थी, किन्तु वह रजिस्ट्रार भिण्ड में जाकर कराई गई थी, जो कि इस संबंध में उसके द्वारा यह बताया गया है कि उसके रिस्तेदार के द्वारा पैसा दिए जाने थे। इस संबंध में यदि पिता के द्वारा कोई पुस्तैनी जमीन बिक्रय कर दी गई हो तो उसके पुत्रों के द्वारा इसका विरोध किया जाना स्वभाविक है और यदि इस कारण कोई दीवानी प्रकरण पिता के विरुद्ध आरोपीगण के द्वारा चलाया भी गया है और आरोपीगण का पिता उनके साथ न रहता हो तो मात्र इस आधार पर इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

36. घटना दिनांक को मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास अपनी शेष बची हुई भूमि को बिक्रय करने हेतु अपने गांव में आया हो इस बिन्दु पर कोई भी साक्ष्य नहीं है। निश्चित रूप से वह जमीन बिक्रय करने हेतु गांव में प्रयासरत था तो वह किस को अन्य जमीन बिक्रय करना चाह रहा था एवं किससे उसकी बातचीत जमीन बिक्रय करने की हो रही थी ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन के द्वारा बताया गया यह तथ्य कि घटना दिनांक को मृतक गांव में उसकी शेष भूमि को बिक्रय करने हेतु आया था प्रमाणित नहीं होता

है।

37. घटना दिनांक को जमीन बेचने की बात को लेकर के घटना के पूर्व आरोपीगण के अपने पिता से कोई बातचीत या वाद विवाद या गाली गलोज हुआ हो इस आशय का भी कोई साक्ष्य नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन के द्वारा बताया गया यह तथ्य कि पिता के द्वारा अन्य जमीन भी बिक्रय करने हेतु आने के कारण एवं घटना कारित करने के पूर्व आरोपीगण का उनके पिता से विवाद एवं झगडा होना यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है।

38. यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त जमीन वर्ष 2006 में मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास के द्वारा बिक्रय किया जाना बताया गया है, जबकि घटना वर्ष 2014 की है। ऐसी दशा में जमीन बेचने के 8 साल बाद पिता के द्वारा जमीन बेचने को लेकर आरोपीगण के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी गई हो यह स्वभाविक भी नहीं लगता है। यदि मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास का अपने पुत्रों से पटती नहीं थी और वह उनके साथ नहीं रहता था तो मात्र इस आधार पर उसकी हत्या करने का हेतुक होना प्रमाणित नहीं होता है।

तृतीय परिस्थिति:- घटना के पश्चात् आरोपीगण का व्यवहार-

39. अभियोजन प्रकरण के अनुसार आरोपीगण अपने पिता की हत्या करने के पश्चात् तलवार एवं बंदूक लेकर गांव में गए थे एवं गांव में उनके द्वारा गुलाबसिंह पर तलवार से प्राणघातक हमला किया था और इसके अतिरिक्त राजबीरसिंह एवं मुन्ना उर्फ रामनरेश को जान से मारने की नियत से उन पर अग्नेयशस्त्र से गोलियाँ चलाई गई थी। आरोपीगण को गांव के लोगों के द्वारा इस दौरान पकड लिया गया था तथा पुलिस को सुपुर्द किया गया था।

40. इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपीगण को गांव के लोगों के द्वारा पकड लिया गया था जो कि उनके द्वारा उन्हें पुलिस को सुपुर्द किया गया था जैसा कि इस बारे में अभियोजन साक्षी राजबीरसिंह अ0सा0 1 तथा मुन्ना उर्फ रामनरेश अ0सा0 4 के कथनों में आया है जो कि विवेचना अधिकारी रतीराम अ0सा0 9 के कथन से भी स्पष्ट होता है। विवेचना अधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि दोनों आरोपियों को रस्सी से बांधा गया था और दोनों आरोपियों को चोटें देखी थी और उनका चिकित्सीय परीक्षण एवं इलाज भी कराया था। प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट है कि आरोपीगण के द्वारा पिता के साथ कथित घटना के पश्चात् फरियादी गुलाबसिंह को जान से मारने का प्रयत्न करने और राजबीर एवं मुन्ना उर्फ रामनरेश को भी जान से मारने की नियत से उन पर अग्नेयशस्त्र से प्राण घातक हमला किये जाने का तथ्य अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। ऐसी दशा में मात्र इस

आधार पर कि आरोपीगण को गांव के लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया था उनके अपराध में संलग्न होने के संबंध में इस आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यह संभावित है कि आरोपीगण अपने पिता की हत्या हो जाने के कारण सदमें को सहन न कर पाये हों और इस इस कारण वह गांव के लोगों के पास गए हों। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र इस आधार पर कि घटना के पश्चात् आरोपीगण को गांव में देखा गया और गांव के लोगों के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया इस आधार पर उनके द्वारा मृतक की हत्या कारित करने के संबंध में कोई परिस्थिति मानते हुए अभियोजन प्रकरण की प्रमाणितकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

चतुर्थ परिस्थिति:- मेमोरेण्डम एवं जप्ती की कार्यवाही-

41. घटनास्थल से एवं आरोपीगण के आधिपत्य से जप्ती की कार्यवाही का जहाँ तक प्रश्न है, इससंबंध में प्रकरण के विवेचना अधिकारी रतीराम अ0सा0 9 के द्वारा मुन्ना उर्फ रामनिवास का शव जिस स्थान पर पड़ा हुआ था उस स्थान से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी की जप्ती कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 15 तैयार करना और उक्त दिनांक को ही एक तलवार पुरानी जंग लगी हुई आरोपी रमाकांत उर्फ बंटी से जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 16 तैयार करना बताया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 28.06.2014 को आरोपी सोनू से पूछताछ कर कट्टा और दो जिंदा कारतूस जो कि भागते समय गांव के बगल में झाड़ियों में फेंक देना और चलकर बरामद करा देना बताया था, जिस पर मेमोरेण्डम कथन प्र.पी. 11 का लेखबद्ध किया था। आरोपी सोनू के पेश करने पर एक कट्टा 315 बोर का जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 तैयार करना बताया है।

42. सर्वप्रथम जहाँ तक घटनास्थल से जप्त खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी की जप्ती का प्रश्न है। घटना के संबंध में अभियोजन के द्वारा यह बताया जा रहा है कि आरोपीगण के द्वारा अपने पिता मुन्ना उर्फ रामनिवास को तलवार से मारा गया था और उनके द्वारा उस पर कट्टे से गोली भी चलाई गई थी तथा उसका सिर पत्थर मारकर कुचल दिया था और हाथ तोड़ दिए थे। घटना जिसमें की गोली चलाई जानी एवं पत्थरों को भी हथियारों के रूप में उपयोग में लिया जाना बताया जा रहा है। इस संबंध में कोई भी पत्थर जो कि घटना में प्रयुक्त किए गए हों की कोई जप्ती नहीं की गई है और न ही इस बावत् कोई साक्ष्य भी एकतृत नहीं की गई है कि उक्त पत्थर जिसे कि घटना में प्रयुक्त किया जाना बताया गया है वह कहाँ गए। घटनास्थल से कोई कारतूस अथवा चला हुआ कारतूस का खोका की भी कोई जप्ती नहीं है। निश्चित तौर से यदि उक्त घटना में अग्नेयशस्त्र से गोली चलाई गई थी तो उसके अवशेष मौजूद होंगे जो कि इस संबंध में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हो

सकता थी।

43. तलवार जो कि घटना में प्रयुक्त किया जाना बताया जा रहा है। उक्त तलवार का जहाँ तक प्रश्न है, तलवार को परीक्षण हेतु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, किन्तु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.सी. 1 उक्त तलवार में कहीं भी मानव रक्त के कोई भी अवशेष होने नहीं पाए गए हैं। निश्चित रूप से यदि घटना में हथियार के रूप में तलवार का प्रयोग किया जाता तो उस पर रक्त की मौजूदगी होती और घटना स्थल से जप्त की गई खून आलूदा मिट्टी का परीक्षण कराकर इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता था, किन्तु ऐसा कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है।

44. प्रकरण में जप्तशुदा बताए गए अग्नेयशस्त्र का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास को कोई भी अग्नेयशस्त्र की चोटें होनी नहीं पाई गई है, जैसा कि इस संबंध में चिकित्सक डॉक्टर जी.आर. शाक्य अ0सा0 7 जिन्होंने कि उक्त मृतक का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है के साक्ष्य से स्पष्ट होता है। ऐसी दशा में जबकि अग्नेयशस्त्र चलाए जाने अथवा उससे किसी प्रकार की चोटें आने का कोई निशान मौजूद नहीं है, मात्र इस आधार पर कि कथित रूप से कोई अग्नेयशस्त्र की जप्ती की गई है इस संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता का कोई आधार नहीं हो सकता है।

45. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन के द्वारा आरोपीगण के द्वारा मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास की हत्या की घटना में शामिल होने और उनके द्वारा ही उसकी सआशय या जानबूझकर हत्या कारित करने के संबंध में किसी भी चक्षुदर्शी अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

46. बचाव पक्ष के द्वारा यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को मुन्ना उर्फ रामनिवास अपनी कृषि भूमि पर कुलावा बनाकर घर बापस लौट रहा था तभी गांव के लोगों के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया और कुल्हाड़ी और तलवारों से उसे चोटें पहुँचाई गई तथा आरोपीगण को आरोपीगण को घसीटते हुए वह ले गए थे। इस संबंध में बचाव साक्षी रमाकांत ब0सा0 1 तथा उमाशंकर ब0सा0 2 के कथन कराए गए हैं।

47. इस संबंध में यद्यपि बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए उक्त आधार एवं साक्षियों के द्वारा कथनों के आधार पर अन्य किन व्यक्तियों के द्वारा घटना कारित की गई इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना प्रकरण स्वयं अपनी साक्ष्य के आधार पर हर संदेह से परे प्रमाणित करना होगा।

48. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण के द्वारा मुन्ना उर्फ रामनिवास की हत्या की घटना कारित किए जाने का तथ्य प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है तथा यह भी प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है कि घटना दिनांक को घटना समय स्थान पर आरोपीगण के द्वारा आहत गुलाब, राजबीरसिंह व मुन्ना उर्फ रामनरेश की हत्या का प्रयत्न किया गया।

बिन्दु क्रमांक. 8:-

49. आरोपी रमाकांत उर्फ बंटी के आधिपत्य से प्रतिबंधित तलवार जप्त किया जाना अभियोजन के द्वारा बताया जा रहा है, जिसको रखने हेतु उसके पास कोई वैध अनुज्ञप्ति भी नहीं थी। इस संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी रतीराम अ0सा0 9 दिनांक 27.06.2014 को आरोपी रमाकांत उर्फ बंटी से जंग लगी तलवार जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 16 तैयार करना बताया है। जप्ती पत्रक प्र.पी. 16 के अनुसार उक्त तलवार की जप्ती एण्डोरी आम रोड मुन्ना उर्फ रामनरेश तोमर के घर के सामने से की जानी बताई गई है। उक्त जप्ती के संबंध में साक्षी गोविंद अ0सा0 13 और अभिषेक अ0सा0 14 के कथन अभियोजन के द्वारा कराए गए हैं। तलवार की जप्ती के संबंध में उक्त दोनों अभियोजन साक्षियों के द्वारा तलवार की जप्ती तोताराम के मकान के सामने से होनी बताई है और जप्ती पत्रक पर भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि तोताराम तोमर के मकान के सामने से जप्त हुई है, किन्तु इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि तलवार की जप्ती कहीं भी तोताराम के मकान के सामने से हुई हो ऐसा जप्ती पत्रक में कोई उल्लेख नहीं है। जप्ती के उक्त दोनों साक्षी जप्ती पत्रक प्र.पी. 16 पर थाने में हस्ताक्षर करना बताया है, जबकि जप्तीकर्ता अधिकारी मौके पर ही जप्ती कर जप्ती पत्रक पर साक्षियों के हस्ताक्षर कराना अभिकथित कर रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्र.पी. 16 की उक्त दोनों जप्ती के साक्षियों के मूल हस्ताक्षर न होकर कार्वन हस्ताक्षर हैं जो कि इस संबंध में की गई कार्यवाही को संदेहास्पद बनाता है।

50. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं अभियोजन साक्षियों के द्वारा यह बताया गया है कि आरोपी बंटी उर्फ रमाकांत तथा सोनू को गांव के लोगों के द्वारा जो कि गांव के 100-200 लोग आ गए थे पकड़ लिया गया था और उन्हें पकड़कर रस्सी से राजबीरसिंह और मुन्ना उर्फ रामनरेश के घर के दरवाजे के पास बांध दिया गया था और उसके बाद पुलिस को सूचना की गई थी और रिपोर्ट की गई थी जब पुलिस गांव में आई थी। ऐसी दशा में उक्त तलवार की जप्ती तोताराम के घर के पास से होनी बताई जा रही है वह इतनी देर तक वहीं पड़ी रही है यह भी विचारणी है। उक्त कथित तलवार पर कोई भी रक्त के निशान होने न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में भी नहीं आया है। तलवार

घटनास्थल से जपत कर उसे शीलबंद करने और उस पर शील नमूना लगाने का भी कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी दशा में जबकि आरोपी के आधिपत्य से तलवार की जप्ती का तथ्य संदिग्ध है उसके द्वारा प्रतिबंधित तलवार अपने आधिपत्य में रखा जाना प्रमाणित नहीं होता है।

बिन्दु क्रमांक 9, 10:-

51. अभियोजन के द्वारा आरोपी सोनू के आधिपत्य से अग्नेयशस्त्र कट्टा एवं कारतूस की जप्ती होनी बताई गई है। इस बिन्दु पर जप्तीकर्ता अधिकारी रतीराम अ0सा0 9 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 28.06.2014 को आरोपी सोनू से पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि घटना में कट्टा और दो जिंदा कारतूस भागते समय गांव की बगल की झाड़ियों में फेंक दिए थे और चलकर बरामद कराए देता हूँ जो कि मेमोरेण्डम प्र.पी. 11 है। उक्त मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपी के पेश करने पर एक 315 बोर का कट्टा और 2 कारतूस 315 बोर के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 12 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी इस बात को स्वीकार किया है कि भीड़ ने दोनों आरोपियों को रस्सी से बांधा था और इस बात को भी स्वीकार किया है कि दोनों आरोपियों को चोटें भी देखी थी और उनका इलाज भी चला था। प्रतिपरीक्षण में इस बात को भी स्वीकार किया है कि जिस स्थान पर कट्टा जप्त किया जाना बताया जा रहा है वहाँ पर कोई भी जनता का सदस्य जा सकता है। कट्टा भागते समय आरोपी के द्वारा फेंकना बताया गया है।

52. उपरोक्त आरोपी सोनू से कट्टे की जप्ती के संबंध में साक्षी प्र0आर0 महेन्द्रसिंह अ0सा0 8 के रूप में परीक्षण अभियोजन के द्वारा कराया गया है जो कि थाना एण्डोरी में पदस्थ था। उक्त साक्षी ने बाद में आरोपी के मेमोरेण्डम के आधार पर जप्ती होना अभिकथित किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिस स्थान से जप्ती होना बताई जा रही है वह खुला हुआ स्थान है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है और जिस जगह झाड़ियों का उल्लेख किया गा है वह झाड़ियों भी खुला स्थान है। जप्ती के समय गांव के सरपंच, कोटवार या किसी भी अन्य साक्षी को नहीं बुलाया गया था। निश्चित तौर से उक्त जप्ती की कार्यवाही जो कि गांव में होनी बताई जा रही है उस समय गांव के अन्य व्यक्ति मौजूद होने की अपेक्षा की जा सकती है, किन कारणों से उन्हें साक्षी नहीं बनाया गया है ऐसा भी कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है।

53. इसके अतिरिक्त जिस स्थान से जप्ती की कार्यवाही होनी बताई जा रही है वह रास्ता खुला हुआ स्थान है जहाँ कि कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के दूसरे दिन कथित जप्ती की जानी बताई गई है, जबकि अभियोजन साक्ष्य से यह

स्पष्ट है कि घटना दिनांक को ही गांव के लोगों ने आरोपीगण को पकड़ लिया गया था और उन्हें बांध रखा था। ऐसी दशा में आरोपी को उक्त कट्टा फेंकने का कोई अवसर मिला हो और यदि उसके द्वारा कट्टा फेंका भी गया है तो गांव के लोगों के द्वारा उसी समय इस संबंध में पुलिस को क्यों नहीं बताया गया और वहीं से उसकी जप्ती क्यों नहीं की गई यह भी विचारणीय है। उक्त सभी परिप्रेक्ष्य में आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर कट्टे की जप्ती आरोपी से ही हुई हो यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है।

54. इस प्रकार जबकि कट्टा अर्थात् अग्नेयशस्त्र, कारतूस की जप्ती आरोपी से होनी नहीं पाई गई है इस संबंध में मात्र राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र. पी. 19 से कि अग्नेयशस्त्र चालू हालत में था तथा कारतूस जिंदा थे एवं इस संबंध में अभियोजन स्वीकृति जो कि साक्षी दीपक तिवारी अ0सा0 12 सहायक ग्रेड-2 कलेक्ट्रेट कार्यालय भिण्ड के द्वारा आरोपी सोनू के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग चलाए जाने के संबंध में स्वीकृति प्र.पी. 22 जो कि तत्कालीन दण्डाधिकारी एम.सिवी चक्रवर्ती के द्वारा दी गई है जिनके कि ए से ए भाग पर हस्ताक्षर है के आधार पर भी आरोपी सोनू के विरुद्ध इस संबंध में अपराध की प्रमाणितकता सिद्ध होनी नहीं पाई जा सकती है।

55. इस प्रकार जबकि आरोपी सोनू के आधिपत्य से अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर उसके द्वारा घटना में कोई गोली चलाई गई हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी दशा में आरोपी सोनू के द्वारा घटना के समय उक्त अवैध अग्नेयशस्त्र का कोई उपयोग किया गया हो प्रमाणित नहीं होता है।

56. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का प्रकरण आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। अभियोजन का प्रकरण प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी बंटी उर्फ रमाकांत को आरोपित अपराध धारा 302/34, 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0द0सं0 एवं धारा 25(1-ख)(ख) आयुध अधिनियम के आरोप से एवं आरोपी सोनू को धारा 302 विकल्प में धारा 302/34, 307 विकल्प में धारा 307/34 भा0द0सं0 एवं धारा 25(1-ख)(क) एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

57. प्रकरण में जप्तशुदा बताई गई सादा मिट्टी एवं खून आलूदा मिट्टी, मृतक मुन्ना उर्फ रामनिवास के कपड़ों व एक लोहे की तलवार अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। प्रकरण बताए गए 315 बोर के कट्टा एवं 02 जिंदा राउण्ड एवं 01 किस कारतूस उचित

निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को अपील अवधि पश्चात् भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी.सी.थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

(डी.सी.थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)